U.P. Stock and Capital Limited

(Formerly U.P. Stock Exchange Limited)
CIN: U67120UP1979PLC004876

PADAM TOWERS', 14/113, CIVIL LINES, KANPUR-208 001

Mob. No.8004939128, Email: upstockcl@gmail.com, Website: www.upstockcl.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

SUBJECT: TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO IEPF SUSPENSE ACCOUNT

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "Rules"), and amendment thereof, the equity shares of the Company in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for a period of 7 (seven) consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority.

Notice is further given that in accordance with IEPF Rules, individual notices have already been sent to the respective shareholders, whose shares are liable to be transferred to the IEPF Suspense Account, at their latest available address in the records of the Company/ RTA for taking appropriate actions. Details of the Equity shares due to be transferred to IEPF Suspense Account have also been uploaded on the Website of Company www.upstockcl.in under the head Investors — "Shares Transferred or to be transferred to IEPF'

All the concerned shareholders, whose dividend for the Financial Year 2015-16, have remained unpaid or unclaimed for seven consecutive years, are advised to claim the dividend amount from the Company on or before 25th November, 2023 and failure to claim the same would lead to transfer of equity shares related to such dividend to 'DEMAT Account of the IEPF Authority'. Concerned shareholders are requested to refer to the Company's website, as mentioned above, to verify the details of unclaimed / unpaid dividends and the equity shares which are liable to be transferred to the IEPF Authority.

In case concerned shareholders do not claim their unclaimed dividend by 25th November, 2023, the Company shall, with a view to comply with the Rules, transfer the equity shares to the IEPF Authority without any further notice to the shareholders. Please also note that no claim shall lie against the Company in respect of equity shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. All benefits accruing on such shares viz., dividend, bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc., except right issue, shall also be transferred to IEPF Authority in compliance of the Act and the Rules framed thereunder.

Shareholders may note that, no claim shall lie against the Company in respect of Unclaimed Dividend / Shares transferred to IEPF pursuant to the Rules. However, it can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the IEPF Rules.

In case of any queries / clarifications, concerned shareholders may contact the Company by sending email at upstockcl@gmail.com or by calling at Mob.9919002307 / Mob.8004939128.

For U.P. Stock and Capital Limited

Place: Kanpur Date: 11.08.2023

(Prem Bahadur Singh) Chief Executive Officer

यू.पी. स्टॉक एंड कैपिटल लिमिटेड

(पूर्व में यू.पी. स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड) सीआईएन: U67120UP1979PLC004876

"पदम टावर्स", 14 / 113, सिविल लाइंस, कानपुर—208 001 मोबाईल नं.: 8004939128, ईमेल: upstockcl@gmail.com वेबसाइट: www.upstockcl.in

शेयरधारकों को सूचना

विषयः कंपनी के इक्विटी शेयरों का आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरण

नोटिस यह दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013("अधिनियम") की धारा 124 (6), जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के नियम 6 के साथ पढ़ित है, और उसके संशोधन के अनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार 7 (सात) वर्षों या उससे अधिक की अविध के लिए अवैतिनक / बिना दावे के रह गया है, उसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("IEPF") प्राधिकरण के डीमैट खाता में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा नोटिस दिया जाता है कि आईईपीएफ नियमों के अनुसार, संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस पहले ही भेजे जा चुके हैं, जिनके शेयर आईईपीएफ सस्पेंस खाते में उचित कार्रवाई करने के लिए कंपनी / आरटीए के रिकॉर्ड में उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर स्थानांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। आईईपीएफ सस्पेंस खाते में स्थानांतरित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का विवरण कंपनी www.upstockcl.in की वेबसाइट पर निवेशक शीर्षक के तहत भी अपलोड किया गया है — "आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए शेयर या स्थानांतरित किए जाएंगे"।

सभी संबंधित शेयरधारक, जिनका वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए लाभांश लगातार सात वर्षों से अवैतिनक या बिना दावे के है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 25 नवंबर, 2023 को या उससे पहले कंपनी से लाभांश राशि का दावा करें और दावा करने में विफल रहने पर ऐसे लाभांश से संबंधित इक्विटी शेयरों को "आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते" में स्थानांतिरत कर दिया जाएगा। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वेबसाइट देखें, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तािक दावा न किए गए / अवैतिनक लाभांश और इक्विटी शेयरों के विवरण को सत्यािपत किया जा सके जो आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतिरत किए जाने योग्य हैं।

यदि संबंधित शेयरधारक 25 नवंबर, 2023 तक अपने लावारिस लाभांश का दावा नहीं करते हैं, तो कंपनी नियमों का पालन करने की दृष्टि से, शेयरधारकों को आगे किसी भी नोटिस के बिना आईईपीएफ प्राधिकरण को इक्विटी शेयर हस्तांतरित करेगी। कृपया यह भी ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार आईईपीएफ को हस्तांतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। राइट इश्यू को छोड़कर ऐसे शेयरों पर प्राप्त होने वाले सभी लाभ जैसे लाभांश, बोनस शेयर, स्लिट, कंसॉलिडेशन, फ्रैक्शन शेयर आदि भी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाएंगे।

शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि, नियमों के अनुसार आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए लावारिस लाभांश / शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। हालांकि, आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से इसे वापस दावा किया जा सकता है।

किसी भी प्रश्न / स्पष्टीकरण के मामले में, संबंधित शेयरधारक upstockcl@gmail.com पर ईमेल भेजकर या मोबाइल नं. 9919002307 / 8004939128 पर कॉल करके कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

यू.पी. स्टॉक एंड कैपिटल लिमिटेड के लिए

प्रेम बहादुर सिंह

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

दिनांक : 11.08.2023 **स्थान** : कानपुर